(2) (38)

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर (नैनीताल)

dfo_ramnagar@rediffmail.com दूरभाष / फैक्स नं0 05947–251362

पत्रांकः– 1412 / 12-1 दिनांक, रामनगर 11/01/2021

115
23C
11-1-2021

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
रामनगर, नैनीताल।

विषयः– जनपद–नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र कालाढूंगी के विकासखण्ड कोटाबाग के अन्तर्गत देचौरी–देगॉव– नयापाण्डेगॉव में आनन्द सिंह के घर से राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय, देचौरी–देगॉव मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.405 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक 8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 69 / 2019 / एफ0सी0 / 1814 दिनांक 26.11.2020 तथा अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फोरेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक 1533 / FP/UK/ROAD/35251/2018 दिनांक 01.12.2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र के द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का अनुपालन किया जाना है। जिसका डिमान्ड नोट निम्न प्रकार हैः–

शर्त सं0 03 क – के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 810 पौधों का रोपण कार्य किया जायेगा एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि @ CA rate for 0.81 Ha. area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जिसका आगणन 0.81 x 3,37,184.00 = 2,73,120.00 रू0 (दो लाख तिहत्तर हजार एक सौ बीस) मात्र है। यह आगणन प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र सं0 972 / 3–5–2 दिनांक 21.11.2017 के अनुसार किया गया है।

शर्त सं0 03 ख – के अनुपालन में राज्य सरकार पौधारोपण योजना के साथ क्षेत्र का नाम एवं कॉआर्डिनेट्स अंकित करते हुये भारत सरकार कार्यालय में प्रस्तुत करेगी।

शर्त सं0 05 क – के अनुपालन में एन0पी0वी0 की धनराशि 0.405 है0 X रूपये 887000.00 = रूपये 359235.00 (तीन लाख उनसठ हजार दो सौ पैंतीस) मात्र वन विभाग के पक्ष में जमा की जानी है।

शर्त सं0 05 ख – के अनुपालन में विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।

शर्त सं0 06 – के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 39 से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ो की कटाई की लागत जमा की जायेगी।

शर्त सं0 07 – के अनुपालन में परियोजना के तहत प्रयोक्ता अधिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनिकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानान्तरित / जमा किया जायेगा।

शर्त सं0 09 – के अनुपालन में FRA, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाण–पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।

शर्त सं0 10 – के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण आई0आर0सी0 मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ायेगा।

शर्त सं0 11 – के अनुपालन में संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क से साथ गति विनियमन साईनेज लगाये जायेंगे।

शर्त सं0 12 – के अनुपालन में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो, प्राप्त करेगा।

शर्त सं0 13– केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।

शर्त सं0 14– के अनुपालन में वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।

Co/04 AE III / क्यू शीघ्रता से

12/1/2021

शर्त सं0 15– के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों राज्जीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक ईधन लिया जायेगा।

शर्त सं0 16 – के अनुपालन में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर सीमांकन किया जायेगा।

शर्त सं0 17 – के अनुपालन में परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।

शर्त सं0 18– के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।

शर्त सं0 19– के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसी, विभाग अथवा एजेंसी को हस्तांतरित नहीं की जायेगी।

शर्त सं0 20– के अनुपालन में भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाईल सं0 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।

शर्त सं0 21 – के अनुपालन में पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण एवं विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।

शर्त सं0 22 – के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवा निस्तारित करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपर्युक्त प्रजातियों के पौंधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नजीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवार बनायी जायेगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपनें से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटायी की अनुमति नहीं होगी।

शर्त सं0 23 – के अनुपालन में यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/ न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता ऐजेन्सी की जिम्मेवारी होगी।

शर्त सं0 24 – के अनुपालन में अनुपालन आख्या/रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जायेगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा सन्दर्भित पत्र से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित अन्य शर्तो की अनुपालन आख्या/रिपोर्ट उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही सम्भव हो सके।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

पत्रांकः– / तद्दिनांकितः–

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फोरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी, नैनीताल को उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

पत्रांकः– / तद्दिनांकितः–

प्रतिलिपिः– वन क्षेत्राधिकारी, कालाढूंगी राजि, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर को इस निर्देश के प्रेषित कि शर्त सं0 03 (क, ख) के अनुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर